न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीपाड़ शहर (जोधपुर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :–श्री नेमा राम, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 121/2025
जीसीएमएस नं. :– 2025/197

प्रार्थी :–

1. आदुखां पुत्र अलादीन खां
जाति सिन्धी मुसलमान निवासी
चौकीन की ढ़ाणी, पीपाड़ शहर
जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :–
तहसीलदार, तहसील कार्यालय
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

दर्ज दिनांक :–06/05/2025

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री मंसूर अली छीपा प्रार्थी की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदारपीपाड़ शहर

''आदेश'' दिनांक : 18/12/2025

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ग्राम पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर का मूल निवासी हैं। ग्राम जसपाली पटवार हल्का जसपाली भू–अभिलेख निरीक्षक पीपाड शहर तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा न. 1493 रकबा 0.1376 हेक्टेयर किस्म गै मु रास्ता, खसरा नं. 1494 रकबा 0.7621 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा संख्या 1497 रकबा 0.3368 हैक्टेयर किस्म बारानी कुल खसरे 3 कुल रकबा 1.2365 हैक्टेयर भूमि आई हुई हैं जो राजस्व रेकर्ड के खाता सं. नया 453 व खाता से पुराना 455 पर इन्द्राजसुदा हैं। जिसमें प्रार्थी का 1/12 व 1/8 वॉ हक हिस्सा निहित हैं। इसी प्रकार ग्राम जसपाली पटवार हल्का जसपाली तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 1436 रकबा 3.0828 हैक्टेयर किस्म बारानी स्थित हैं जो राजस्व रेकर्ड के खाता संख्या नया 454 व पुराना 456 पर इन्द्राजसुदा हैं। जिसमें प्रार्थी का 1/18 वॉ हक हिस्सा निहित है। इसी प्रकार ग्राम जसपाली पटवार हल्का जसपाली भू–अभिलेख निरीक्षक पीपाङ शहर तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं 1463 रकबा 2.1066 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नं 524 रकबा 1.3358 हेक्टेयर किस्म बारानी, खसरा संख्या 527 रकबा 1.2741 हैक्टेयर किस्म बारानी कुल खसरे 3 कुल रकबा 4.7165 हैक्टेयर भूमि आई हुई हैं जो राजस्व रेकर्ड के खाता सं. नया

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

455 व खाता सं. पुराना 457 पर इन्द्राजसुदा हैं। जिसमें प्रार्थी का 1/24 वाँ हक हिस्सा निहित हैं। प्रार्थी का नाम पेन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र व अन्य सरकारी दस्तावेजों में नाम आदुखां दर्ज हैं, जबकि प्रार्थी के नाम ग्राम जसपाली में स्थित भूमि खसरा संख्या 1493, 1494 व 1497 में प्रार्थी का नाम आलुखा दर्ज हैं तथा ग्राम जसपाली के ही खसरा संख्या 1436 व 1463, 524. 527 में प्रार्थी का नाम आदमखां दर्ज हैं। जो कि त्रुटिपूर्ण है। आलुखां, आदमखां व आदुखां तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं प्रार्थी को बोलचाल की भाषा में आलुखां व आदमखां कहे जाने से इनके नाम से जो भूमिया दर्ज हुई हैं उक्त भूमियों में आलुखा व आदमखां नाम दर्ज हो गया जबकि पेन कार्ड, आधार कार्ड, परिचय पत्र व अन्य सरकारी दस्तावेजों में प्राथी का नाम आदुखां दर्ज है। प्रार्थी आदुखां अपने नाम की जो राजस्व रेकर्ड में जो इन्द्राज में त्रुटि हुई हैं उस त्रुटि को दुरुस्त करवाना चाहता हैं। राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम व अन्य सरकारी दस्तावेजों में दर्ज नाम में भिन्नता होने से प्रार्थी को सरकारी योजनाओं का लाभप्राप्त करने में परेशानी हो रही हैं। इसलिए प्रार्थी का नाम उसके दस्तावेजों में अंकित नाम के अनुसार राजस्व रेकर्ड में किये जाने से अन्य सहखातेदारों को कोई हानि नहीं हैं तथा राजस्व रेकर्ड पर भी कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा व प्रार्थी सरकारी योजनाओं का लाभप्राप्त कर सकेगा इसलिए नाम शुद्धि हेतु उक्त वादपत्र प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर न्यायालय हाजा से निवेदन हैं कि वर्णित वादग्रस्त आराजीया खसरा संख्या 1493, 1494, 1497 1436, 1463, 524 तथा 527 में रेकर्ड दुरुस्त फरमाया जाकर आलुखा व आदमखां के स्थान पर प्रार्थी का नाम आदुखा पुत्र अलादीनखां दर्ज किया जाने का आदेश फरमावें। अन्य अनुतोष हित प्रार्थी के पक्ष में अता फरमायें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया । अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार राजस्व ग्राम जसपाली के खसरा संख्या 1493, 1494, 1497 में आलूखां पुत्र अलादीनखां के स्थान पर आदुखां पुत्र अलादीनखां व खसरा संख्या 1436, 1463, 524, 527 में आदमखां पुत्र अलादीन के स्थान आदुखां पुत्र अलादीनखां किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरुस्त की अनुशंषा की है।

हमने बहस पक्षकारान् सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन करते हुए कहा कि प्रार्थी का नाम राजस्व ग्राम जसपाली के खसरा संख्या 1493, 1494, 1497 में आलूखां पुत्र अलादीनखां के स्थान पर आदुखां पुत्र अलादीनखां व खसरा संख्या 1436, 1463, 524, 527 में आदमखां पुत्र अलादीन के स्थान आदुखां पुत्र अलादीनखां राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने पत्रावली पत्र मौजूद दस्तावेज, अप्रार्थी तहसीलदार पीपाड़ शहर के द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन एवं बहस पक्षकारान् पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम राजस्व ग्राम जसपाली के खसरा संख्या 1493, 1494, 1497 में आलूखां पुत्र अलादीनखां के स्थान पर आदुखां पुत्र अलादीनखां व खसरा संख्या 1436, 1463, 524, 527 में आदमखां पुत्र अलादीन के स्थान आदुखां पुत्र अलादीनखां राजस्व रेकर्ड दुरुस्त किया जाकर अमल दरामद करें। इस आशय की तहरीर जारी हों।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 18/12/2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर